न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 – 29 / 2023–24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... बबलु भगत .....
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... ईश्वर साहु ..... वगैरह

23.6.23

वाद की कार्रवाई थाना– कामडारा के अप्राथमिकी सं० 05/2023 दिनांक 07.04.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** 1. बबलु भगत, उम्र 32 वर्ष, पिता स्व० सोमा भगत, साकिन गरई, थाना कामडारा, जिला – गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** 1. ईश्वर साहु, उम्र 65 वर्ष, पिता स्व0 मधु साहु, 2. देवकुमार साहु, उम्र 30, 3. रविशंकर साहु, उम्र 28 वर्ष दोनों के पिता ईश्वर साहु, सभी ग्राम– गरई, थाना– कामडारा, जिला गुमला के बीच मौजा गरई के खाता सं0–72, प्लॉट सं0 – 797, रकबा– 0.99 एकड़ है। भूमि की चौहदी उतर में पक्की सड़क, दक्षिण में बुधु उराँव, पुरब में भोदरो साहु का मिट्टी खपड़ा का मकान, पश्चिम में सीबु साहु का मकान को लेकर विवाद एवं तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। वादगत भूमि पर उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याय संगत नहीं है । मौजा– गरई थाना नं0– 57 थाना– कामडारा जिला गुमला के खाता नं०– 72 प्लॉट नं०– 797 रकबा – 0.99 डी० भूमि से सम्बधित है जिसको विवादित बताया जा रहा है जिसका खतियानी रैतय बुधराम उराँव वो केले उराँव पेशरान बुधू उराँव वो बुचा उराँव वल्द मोको उराँव वो मांगु उराँव वल्द मंगरू उराँव वो दुखा उराँव वल्द चारो उराँव वो राम उराँव वल्द बन्धु उराँव कौम उराँव शाकीन देह टोला करंज टोला खतियान में काएमी दर्ज है। जिसका वंशावली इस प्रकार है:–

वंशावली

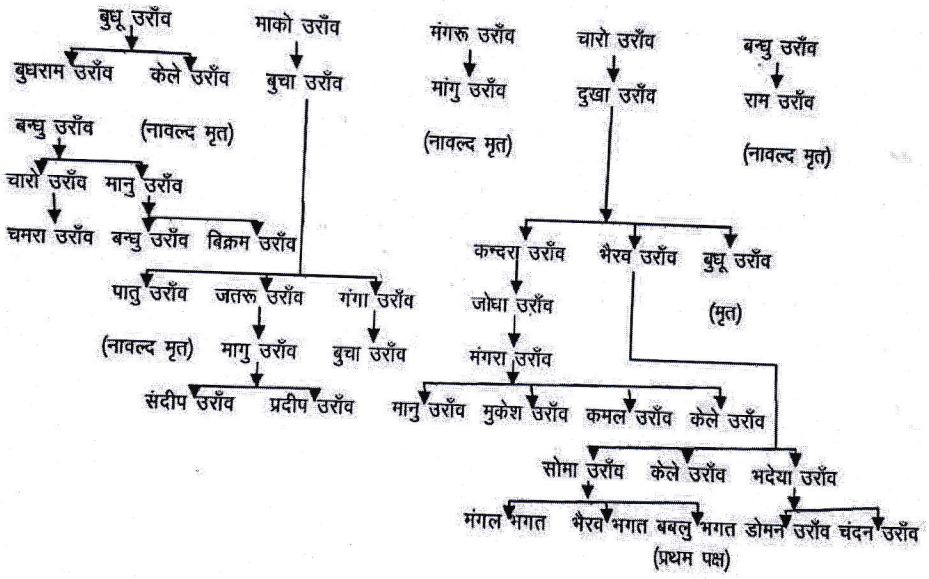

इस वंशावली के खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी वंशज एवं प्रथमः पक्ष के बीच में खाता नं० 72 प्लॉट नं० 797 रकबा 0.99 डी० भूमि का बॉटवारा नहीं हुआ है और मालगुजारी रसीद बन्धु उराँव वगै० के नाम से रसीद कटता है। विवादित जमीन प्लॉट नं० 797 रकबा 0.99 डी० भूमि के कुछ भाग में किसु साहू, पिता स्व० मधु साहु (द्वितीय पक्ष) के द्वारा अवैध घर का निर्माण करने पर प्रथम पक्ष मना करने पर भी नहीं मान कर एवं बल पूर्वक काम जारी रखने पर प्रथम पक्ष के द्वारा थाना कामडारा में एक लिखित आवेदन दिया गया । थाना प्रभारी, कामडारा के द्वारा सत्यापित जाँच कर हुजूर के न्यायालय में पुलिस जाँच रिपोर्ट समर्पित किया गया। जिसके जाँच के आधार पर प्रथम पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया है। पुलिस जाँच रिपोर्ट में है कि उक्त खाता, प्लॉट में अवैध नव निर्माण का कार्य हो रहा है का सबूत पाया द्वितीय पक्ष से पुछ– ताछ किया तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पुलिस को यह बतलाया कि उक्त जमीन को जोधा उराँव वल्द कन्दरा उराँव से 0.14 डी० जमीन 14000/– 18.12.89 ई० में भाई सुरेन्द्र साहू पिता स्व० मधु साहु सादा कागज पर लिखा पढ़ी हुआ है । 0.14 डी जमीन में घर बना कर रह रहे है जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट है खाली जगह किसका होगा जो द्वितीय पक्ष बिना रजिस्ट्री कागजात का अवैध घर बनाया जा रहा है। विवादित जमीन का बॉटवारा नही हुआ है तो प्रथम पक्ष का हिस्सा किधर होगा कैसे बता सकते है जो पुलिस जाँच रिपोर्ट में है स्पष्ट है जॉच रिपोर्ट में यह भी है कि पैसा के लालच में ऐसा कर रहा है यह बात गलत है चूँकि आदिवासी खाता का जमीन है और आदिवासी है इस लिए न्यायालय को गुमराह करने के लिए यह जाँच रिपोर्ट है। गाँव घर में आदिवासी का जमीन बन्धक के रूप में हो सकता है लेकिन सादा के लिए बिक्री नहीं हो सकता है विवादित जमीन को तार से घेरा कर लिया गया है जो पुलिस जाँच रिपोट में नही है।

द्वितीय पक्ष धन बल, जन बल, बाहु बल से सबल है इस लिए आदिवासी का खाता का जमीन को अवैध दखल कर हड़पना चाहते है। चूँकि प्रथम पक्ष धन बल जन बल से कमजोर है। इस लिए द्वितीय पक्ष नजायज फैदा उठाना चाहते है। प्रथम पक्ष के द्वारा कभी भी शान्ति भंग नहीं हो सकता है बल्कि द्वितीय पक्ष से कभी भी शान्ति भंग हो सकता है और फिराक में है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त खाता प्लॉट रकबा के विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष को स्थिर करते हुए प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त किया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रसीद की छायाप्रति।
2 खतियान की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि विपक्षी की ओर से शांति भंग होने की संभावना नहीं है बल्कि प्रार्थी पक्ष की ओर से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। प्रार्थी स्वयं विपक्षी की शांतिपूर्ण निवासरत कब्जा वाली मकान में अनेक तरह की कठिनाई उत्पन्न कर रहे है। दं0 प्र0 सं0 की धारा 144 के अधीन चल रही कार्यवाही में दी गई जमीन का विवरण मौजा गरई, थाना कामडारा, जिला गुमला (झारखण्ड) थाना नं. 57 अंतर्गत खाता नं. 72, प्लॉट नं. 797 रकबा 99 डिसमिल जमीन के कुछ हिस्से में द्वितीय पक्ष तीन पीढ़ी लगभग 100 वर्षों से मकान बनाकर परिवार सहित रहते है। उपरोक्त वर्णित जमीन में अन्य कई परिवार का मकान बना हुआ है एवं निवासरत है। द्वितीय पक्ष के निवासरत मकान में दं0 प्र0 सं0 की धारा 144 लागु नहीं होता है एवं दं0 प्र0 सं0 की धारा 144 की कार्यवाही नहीं चलने योग्य है। प्रथम पक्ष स्थानीय व्यक्ति नहीं है विवादित जमीन पर दुर–दुर का हक सरोकार नहीं बनता है। स्थानीय पुलिस द्वारा तथ्य को तोड़ मरोड़ कर प्रतिवेदित किया गया है। उपयुक्त परिस्थितियों में वर्तमान कार्यवाही द्वितीय पक्ष के प्रति जारी रखने योग्य नहीं है। उपरोक्त जमीन जोधा उराँव से लिया गया है।

अतः श्रीमान से नम्र प्रार्थना है कि द्वितीय पक्ष को कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए विपक्षी के विरुध जारी नियम को रद्द किया जाए एवं प्रार्थी के विरुध लागु किया जाय। इसके लिए विपक्षी सदा आभारी बने रहेंगे।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 सादा एकरारनामा की छायाप्रति।

आदेश

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद्गत भूमि मौजा गरई के खाता सं0–72, प्लॉट सं0 – 797, रकबा– 0.99 एकड़ से संबंधित है। वादगत भूमि आर0एस0 खतियान रैतय बुधराम उराँव वो केले उराँव पेशरान बुधू उराँव वो बुचा उराँव वल्द मोको उराँव वो मांगु उराँव वल्द मंगरू उराँव वो दुखा उराँव वल्द चारो उराँव वो राम उराँव वल्द बन्धु उराँव कौम उराँव शाकीन देह टोला करंज टोला खतियान में कायमी दर्ज है। प्रथम पक्ष बबलु भगत, पिता – सोमरा भगत खतियानी रैयत के वंशज हैं। द्वितीय पक्ष ईश्वर साहु वगै0 के द्वारा इस भूमि पर मकान बनाया जा रहा है जिस कारण उभय पक्षों के बीच तनाव एवं विवाद है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्हें प्रथम पक्ष से सादा एकरारनामा जो दिनांक – 18.12.1989 से प्राप्त हुआ है। वादगत भूमि से संबंधित कोई निबंधित बिक्री पट्टा द्वितीय पक्ष के पास नहीं है। वादगत भूमि आदिवासी खाते की जमीन है जबकि द्वितीय पक्ष के लोग सामान्य जाति के है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा एवं थाना प्रभारी, कामडारा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:32:34 +05:30
Location: 192.168.1.3